

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।

भवन मानचित्र समिति-द्वितीय॥सीपीसी॥ की बैठक सं० 39/2000 दिनांक 17-4-2000 को प्रातः 11.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, का कार्यवाही विवरण -

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया :-

- 1- श्री के.पी. सिंघल, सचिव, जविप्रा, जयपुर ।
- 2- श्री ए.के. गुप्ता, निदेशक॥आयोजना॥ जविप्रा, जयपुर ।
- 3- श्री पी.आर. शर्मा, निदेशक॥वित्त॥ जविप्रा, जयपुर ।
- 4- श्री एस.एल. माथुर, निदेशक॥अभियान्तिकी॥ जविप्रा, जयपुर ।
- 5- श्री ए.एन. भार्गव, वरिष्ठ नगर नियोजक॥सीपी॥ जविप्रा, जयपुर ।

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे :-

- 1- श्री अन्विल गुप्ता, उपायुक्त, जोन बी-2, जविप्रा, जयपुर ।
- 2- श्री ओ.पी. खड्गावत, उपायुक्त, जोन बी-3, जविप्रा, जयपुर ।
- 3- श्री प्रेमशंकर, उप नगर नियोजक॥सीपी॥ जविप्रा, जयपुर ।
- 4- श्री मुकेश मिस्तल, सहायक नगर नियोजक॥सीपी॥ जविप्रा, जयपुर ।

॥1॥ बीपीसी-11॥सीपीसी॥ की बैठक सं० 38/2000 दिनांक 30-3-2000 का कार्यवाही विवरण समिति के पृष्ठिकरण हेतु :-

समिति द्वारा पृष्ठिक की गयी ।

॥2॥ विभिन्न उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत प्रकरणों पर विचार-विमर्श कर निम्न निर्णय लिये गये :-

2.1- एजेण्डा सं० 39/2000-1 :- आनन्द भवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना टैगोर नगर- जे॥जोन बी-2॥ :-

उपायुक्त, जोन बी-2 द्वारा बताये गये तथ्यों पर विचार-विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि टैगोर नगर-जे के भूखण्ड सं० 58, 58ए, 61, 61ए, 54, 55 और 57 का नियमन अभी नहीं किया जाये और 40 फिट सैक्टर रोड़ की मौके की स्थिति देखकर टैगोर नगर-जे और मरुधर नगर से संबंधित भूखण्डों का सर्वे कर प्रस्ताव पुनः समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाये ।

2.2- एजेण्डा सं० 39/2000-2 :- खुदाबादी सोनार गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना मदीना नगर की 60 फिट चौड़ी सैक्टर रोड़ की स्थिति बदले जाने के संबंध में जून बी-3 :-

मक्का मदीना मोहल्ला विकास समिति द्वारा योजना मदीना नगर खुदाबादी सोनार गृह निर्माण सहकारी समिति की 60 फिट चौड़ी सैक्टर रोड़ की स्थिति बदले जाने के संबंध में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। समिति द्वारा मौके की स्थिति एवं सैक्टर प्लान के अनुसार दर्शायी गयी सैक्टर रोड़ के सन्दर्भ में प्रस्तुत मानचित्र एवं एजेण्डा का अवलोकन किया गया। विस्तृत विचार-विमर्श पश्चात् योजना के भूखण्ड सं० 164 से 187 व 188 से 211 के बीच में पूर्व में स्वीकृत 60 फिट सैक्टर रोड़ को 30 फिट करने का निर्णय लिया गया तथा भूखण्ड सं० 212 से 231 व 232 से 253 के मध्य पूर्व में स्वीकृत 30 फिट चौड़ी सड़क सैक्टर प्लान के अनुसार 60 फिट चौड़ी करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि इस संशोधित 60 फिट चौड़ी सैक्टर रोड़ के सामने स्थित भूखण्ड सं० 212 से 231 व 232 से 253 में फ्रन्ट सैटबैक 5 फिट रखा जाये। तदनुसार भूखण्डों के नियमन की कार्यवाही की जाये। पूर्व में अस्वीकृत भूखण्ड सं० 164 से 187 व 188 से 211 को स्वीकृत करने का भी निर्णय लिया गया।

बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ सम्पन्न हुई।

सदस्य सचिव

भवन मानचित्र समिति-द्वितीय सीपीसी
जविप्रा, जयपुर।

क्रमांक: एफ-11/14/जविप्रा/वननि/सीपी/39/2000/ही-187

दिनांक : 18.4.2000.

प्रतिलिपि:-

- 1- वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
- 2- निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
- 3- निदेशक/आयोजना/वित्त/विधि/अभियंत्रिकी/जविप्रा, जयपुर।
- 4- अतिरिक्त आयुक्त/भूमि एवं योजनाएं/जविप्रा, जयपुर।
- 5- उपायुक्त/प्राधिकृत अधिकारी/सहायक नगर नियोजक, जून बी-2 एवं बी-3, जविप्रा, जयपुर।
- 6- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।

सदस्य सचिव

बीपीसी-11/सीपीसी